



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1663]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 30, 2012/भाद्र 8, 1934

No. 1663]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 2012/BHADRA 8, 1934

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2012

( आय-कर )

का.आ. 1990(अ).—चूँकि भारत गणराज्य ने आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के मुख्यालय, पेरिस में प्रोटोकॉल 2010 द्वारा यथासंशोधित कर संबंधी मामलों पर पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय अभिसमय (इसके बाद कथित अभिसमय कहा गया है) पर 26 जनवरी, 2012 को हस्ताक्षर किए थे;

और चूँकि, ओईसीडी में अनुसमर्थन का लिखत 21 फरवरी, 2012 को जमा किया गया था, अतः उपर्युक्त अभिसमय के भारत में लागू होने की तारीख उपर्युक्त अभिसमय के अनुच्छेद 28 के पैराग्राफ 3 के अनुसार 1 जून, 2012 है;

इसलिए, अब, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ संलग्न कर संबंधी मामलों पर पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर अभिसमय के सभी उपबंध, भारत संघ में दिनांक 1 जून, 2012, अर्थात् उपर्युक्त अभिसमय के भारत में लागू होने की तारीख से, लागू होंगे।

[अधिसूचना सं. 35/2012/फा. सं. 500/154/2009-एफटीडी-1]

संजय कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

## कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता संबंधी अभिसमय

कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता संबंधी अभिसमय के संशोधनकारी प्रोटोकॉल के उपबंधों द्वारा संशोधित मूल पाठ जो 01, जून, 2011 को प्रवृत्त हुआ ।

### प्रस्तावना

यूरोप की परिषद के सदस्य राज्य तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (आईसीडी) के सदस्य देश इस अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता,

यह विचार करते हुए कि व्यक्तियों, पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय आन्दोलन का विकास - यद्यपि स्वयं में ज्यादा लाभकारी - कर परिहार तथा अपवंचन की संभावनाओं को बढ़ा दिया है और इसलिए कर प्राधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाना अपेक्षित होता है;

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर परिहार तथा कर अपवंचन का सामना करने के लिए हाल के वर्षों में किए गए विभिन्न प्रयासों का स्वागत करते हुए चाहे द्विपक्षीय तो अथवा बहुपक्षीय हो,

यह विचार करते हुए कि राज्यों के बीच समन्वित प्रयास जरूरी हैं ताकि किसी भी किस्म के करों से संबंधित मामलों में प्रशासनिक सहायता के प्रारूपों में तेजी आए जबकि उसी समय करदाताओं के अधिकारों का पर्याप्त संरक्षण सुनिश्चित हो;

यह मान्यता देते हुए कि कर दायित्वों के उचित निर्धारण और करदाताओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा करने में सहायता को सुविधानजक बनाने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है ।

यह विचार करते हुए कि उचित कानून प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को पात्र बनाने वाले मूलभूत सिद्धांतों को सभी राज्यों में कर मामलों के लिए लागू होने के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और उस राज्य को भेदभाव तथा दोहरे कराधान के विरुद्ध उपयुक्त संरक्षण सहित करदाताओं के तर्कसंगत हितों का संरक्षण करने के प्रयास करने चाहिए ।

निश्चयी इसलिए उस राज्य को सूचना की गोपनीयता के संरक्षण की जरूरत को देखते हुए तथा निजिता के संरक्षण और निजी आंकड़ों के प्रवाह के अंतरराष्ट्रीय लिखत को ध्यान में रखते हुए उपाय करने चाहिए अथवा सूचना सप्लाई करना चाहिए ।

यह विचार करते हुए कि नया सहयोगी माहौल उभरकर आया है और यह कि यह वांछनीय है कि एक बहुपक्षीय दस्तावेज नये सहयोगी माहौल का लाभ प्राप्त करने के लिए ज्यादा संख्या में राज्यों को अनुमति देने के लिए उपलब्ध कराया गया है और उसी समय कर क्षेत्र में सहयोग के उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों को क्रियान्वित किया है ।

कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता संबंधी अभिसमय को अंतिम रूप देने की इच्छा से

निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

### अध्याय 1 - अभिसमय का कार्यक्षेत्र

#### अनुच्छेद 1 - अभिसमय का उद्देश्य तथा शामिल व्यक्ति

1. अध्याय IV के उपबंधों के अधीन प्रार्थियां कर मामलों में एक-दूसरे को प्रशासनिक सहायता प्रदान करती हैं । ऐसा सहायता में, जहां उचित हो, न्यायिक निकायों द्वारा किए गए उपाय अंतर्गस्त हो सकते हैं ।
2. ऐसी प्रशासनिक सहायता में सम्मिलित होंगे :-
  - (क) समकालिक कर जांच सहित सूचना का आदान-प्रदान तथा विदेश कर जांच में भागीदारी;
  - (ख) संरक्षणता के उपायों सहित वसूली में सहायता; तथा
  - (ग) दस्तावेजों की सेवा ।
3. एक पार्टी प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगी चाहे प्रभावित व्यक्ति एक पार्टी का निवासी अथवा राष्ट्रिक है अथवा किसी दूसरे राज्य का ।

## अनुच्छेद 2 - सम्मिलित कर

1. यह अभिसमय लागू होगा :

(क) निम्नलिखित करों के लिए :

- (i) आय अथवा लाभ पर कर ;
- (ii) पूंजी अभिलाभ पर कर जिन्हें आय अथवा लाभ पर कर से अलग से लगाया गया है;
- (iii) कुल संपत्ति पर कर;

एक पार्टी की ओर से लगाए गए; तथा

(ख) निम्नलिखित करों के लिए :

- (i) आय, लाभ, पूंजीगत अभिलाभ अथवा कुल संपत्ति जिन्हें किसी पार्टी के राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाया जाता है ;
- (ii) जन कानून के अंतर्गत स्थापित आम सरकार अथवा सामाजिक सुरक्षा संस्थानों को संदेय अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा;
- (iii) सीमाशुल्क करों किसी पार्टी की ओर से लगाये गये अन्य श्रेणियों में कर, नामतः
  - (क) संपदा, विरासत अथवा उपहार कर,
  - (ख) अचल संपत्ति पर कर,
  - (ग) सामान्य खपत कर जैसे कि मूल्यवर्धित अथवा बिक्री कर,
  - (घ) वस्तुओं तथा सेवाओं पर विशिष्ट कर जैसे कि उत्पादशुल्क कर,
  - (ङ.) मोटर वाहनों के प्रयोग अथवा स्वामित्व पर कर,
  - (च) मोटर वाहनों को छोड़कर चल संपत्ति के प्रयोग अथवा स्वामित्व पर कर,
  - (छ) कोई अन्य कर,

(iv) उपरोक्त उप पैराग्राफ iii में बतायी गई श्रेणियों में कर जिन्हें किसी पार्टी के राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाया जाता है।

2. मौजूदा कर जिन पर अभिसमय लागू होगा, उन को पैराग्राफ 1 में उल्लिखित श्रेणियों में अनुबंध क में सूचीबद्ध किया गया है।
3. पक्ष, पैराग्राफ - 2 में उल्लिखित सूची के आशोधन के परिणामस्वरूप अनुबंध क में किए जाने वाले किसी परिवर्तन के बारे में यूरोप की परिषद के महासचिव अथवा ओईसीडी के महासचिव (जिसे इसके बाद 'न्यासधारी' कहा जाएगा) को अधिसूचित करेंगे। ऐसा परिवर्तन, न्यासधारी द्वारा ऐसी अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के बाद तीन महीनों की अवधि के समापन के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगा।
4. अभिसमय, उनको अपनाने के समय से किन्हीं समरूपी अथवा पर्याप्त रूप से मिलते - जुलते करों पर लागू होगा जिन्हें अनुसूची क में सूचीबद्ध किए गए मौजूदा करों के अलावा अथवा उनके स्थान पर उस पक्ष के संबंध में अभिसमय को लागू करने के बाद किसी संविदाकारी राज्य पर लगाया जाता है, और उस स्थिति में संबंधित पक्ष प्रश्नाधीन कर को स्वीकार करने के बारे में न्यासधारियों में से किसी एक न्यासधारी को अधिसूचित करेगा।

## अध्याय II - सामान्य परिभाषा

### अनुच्छेद 3 - परिभाषा

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;
  - क. 'आवेदक राज्य' और 'अनुरोधित राज्य' पदों का तात्पर्य क्रमशः कर मामलों में प्रशासनिक सहायता के लिए आवेदन करने वाला कोई पक्ष और ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किए गए किसी पक्ष से है;
  - ख. पद 'कर' से तात्पर्य किसी कर अथवा सामाजिक सुरक्षा अंशदान से है, जिस पर अनुच्छेद 2 के अनुसरण में अभिसमय लागू होता है;
  - ग. पद 'कर दावे' का तात्पर्य किसी कर की राशि के साथ-साथ उस पर लगने वाले ब्याज, वसूली के लिए प्रासंगिक प्रशासनिक जुर्मानों एवं लागतों से है जो देय हों, और अभी तक अदा नहीं की गयी हों;

- घ. पद 'सक्षम प्राधिकारी' का तात्पर्य, अनुबंध ख में सूचीबद्ध व्यक्तियों और प्राधिकारियों से है;
- ङ. किसी पक्ष के संबंध में पद 'राष्ट्रिकों' का तात्पर्य;
- i. उस पक्ष की राष्ट्रीयता धारण करने वाले सभी व्यक्तियों से है; और
  - ii. सभी विधिक व्यक्ति, भागीदारियों, एषोशिएसन तथा अन्य सत्ताएं जो अपनी इस प्रकार की हैसियत उस पक्ष में प्रवृत्त कानूनों से इस तरह प्राप्त करते हों ।

प्रत्येक पक्ष के लिए जिसने उस प्रयोजन के लिए घोषणा की है, ऊपर प्रयुक्त पद का अनुबंध ग में दी गई परिभाषा के अनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

2. जहां तक किसी पक्ष द्वारा अभिसमय को लागू करने का संबंध है, कोई पद, जिसे इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, का वही अर्थ होगा, जो अर्थ इसका अभिसमय के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में उस पक्ष के कानून के अंतर्गत है ।

3. पक्ष, अनुबंधों ख और ग में किए गए किसी भी परिवर्तन के बारे में न्यासधारियों में से किसी एक न्यासधारी को अधिसूचित करेंगे । ऐसा परिवर्तन प्रश्नाधीन न्यासधारी द्वारा ऐसी अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के बाद तीन महीने की अवधि की समाप्ति के अगले माह के प्रथम दिन को लागू होगा ।

### अध्याय III - सहायता के रूप

#### भाग 1 - सूचना का आदान - प्रदान

#### अनुच्छेद 4 - सामान्य उपबंध

1. पक्ष, विशेषतः इस भाग में यथा - उपलब्ध किसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे, जो अनुमानतः इस अभिसमय के तहत आने वाले करों के संबंध में उनके आन्तरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के लिए अनुमानिक रूप से सुसंगत हैं ।

2. हटाया गया ।

3. कोई भी पक्ष, न्यासधारियों में से किसी एक न्यासधारी को संबोधित घोषणा द्वारा सूचित करेंगे कि उनके आन्तरिक विधान के अनुसार उनके प्राधिकारी अपने निवासी अथवा राष्ट्रिक को उससे संबंधित सूचना को भेजने से पहले अनुच्छेद 5 एवं 7 की अनुरूपता में उन्हें सूचित कर सकते हैं।

#### अनुच्छेद 5 - अनुरोध करने पर सूचना का आदान-प्रदान

1. आवेदक राज्य के अनुरोध पर अनुरोधित राज्य अनुच्छेद 4 में उल्लिखित किसी भी सूचना को आवेदक राज्य को उपलब्ध कराएगा जो विशिष्ट व्यक्तियों अथवा संव्यवहारों से संबंधित है।

2. यदि अनुरोधित राज्य के कर फाइलों में उपलब्ध सूचना, सूचना हेतु अनुरोध को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है, तो वह राज्य अनुरोधित सूचना को आवेदक राज्य को उपलब्ध कराने के लिए सभी संगत उपाय करेगा।

#### अनुच्छेद 6 -सूचना का स्वतः आदान - प्रदान

मामलों की श्रेणियों के संबंध में और प्रक्रियाओं के अनुसार, जिसे वे पारस्परिक सहमति से निर्धारित करेंगे, जो अथवा अधिक पक्ष अनुच्छेद 4 में संदर्भित सूचना का स्वतः ही आदान - प्रदान करेंगे।

#### अनुच्छेद 7 - सूचना का स्वेच्छा से आदान - प्रदान

1. एक पक्ष पूर्व अनुरोध के बिना दूसरे पक्ष को ऐसी सूचना भेजेगा जिसकी उसे निम्नलिखित परिस्थितियों में जानकारी है;

- क. प्रथमोल्लिखित पक्ष के पास यह मानने के लिए आधार हों कि दूसरे पक्ष में कर की हानि हो सकती है;
- ख. कर के लिए दायी व्यक्ति उस प्रथमोल्लिखित पक्ष में कर से कटौती प्राप्त करता हो अथवा छूट प्राप्त करता हो जिससे दूसरे पक्ष में कर अथवा कर दायित्व में बढ़ोतरी होगी;

- ग. पक्ष में कर हेतु दायी व्यक्ति और दूसरे पक्ष में कर के लिए दायी व्यक्ति के बीच कारोबारी सौदों को एक अथवा अधिक देशों के माध्यम से इस तरह से संचालित किया जाता है कि कर में बचत, एक अथवा दूसरे पक्ष अथवा दोनों में परिणत हो सकती है;
- घ. दूसरे पक्ष द्वारा प्रथमोल्लिखित पक्ष को भेजी गई सूचना से सूचना प्राप्त करनी संभव हुई हो, जो बाद वाले पक्ष में कर की देयता के निर्धारण में सुसंगत हो सकती है ।
2. प्रत्येक पक्ष ऐसे उपाय करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि पैराग्राफ 1 में वर्णित सूचना दूसरे पक्ष को भेजने के लिए उपलब्ध करायी जाएगी ।

#### अनुच्छेद 8 - समसामयिक कर जांच

1. किसी एक के अनुरोध पर दो अथवा अधिक पक्ष साथ-साथ जाचों के लिए मामलों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ एक साथ परामर्श करेंगे । शामिल प्रत्येक पक्ष निर्णय लेगा कि वह किसी विशेष कर जांच में साथ-साथ शामिल होना चाहेगा अथवा नहीं ।
2. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, समसामयिक कर जांच का तात्पर्य दो अथवा अधिक पक्षों के बीच ऐसी व्यवस्था से है कि वे प्रत्येक अपने राज्यक्षेत्र में व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के कर मामलों की समसामयिक रूप में जांच करेंगे , जिसमें उनका किसी संगत सूचना का आदान-प्रदान करने की दृष्टि से सामान्य अथवा संबद्ध हित हो, जिसे उन्होंने इस तरह प्राप्त किया हो ।

#### अनुच्छेद 9 - विदेश में कर जांच

1. आवेदक राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, अनुरोधित राज्य का सक्षम प्राधिकारी आवेदक राज्य के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अनुरोधित राज्य में कर जांच के उपयुक्त भाग पर उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है ।
2. यदि अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, तो अनुरोधित राज्य का सक्षम प्राधिकारी जितना जल्दी संभव हो, आवेदक राज्य के सक्षम प्राधिकारी को जांच के समय एवं स्थान, जांच को पूरा करने के लिए नामोद्दिष्ट प्राधिकारी अथवा अधिकारी अथवा जांच संचालित करने के लिए

अनुरोधित पक्ष द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं अथवा शर्तों के बारे में अधिसूचित करेगा । कर जांच संचालित करने के संबंध में सभी निर्णय अनुरोधित राज्य द्वारा किए जाएंगे ।

3. पक्ष, एक सामान्य नियम के रूप में ऐसे अनुरोधों को स्वीकार नहीं करने के अपनी धारणा के बारे में किसी एक न्यासधारी को सूचित कर सकता है, जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित हैं । इस तरह की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है अथवा वापस ली जा सकती है ।

### अनुच्छेद 10 - परस्पर विरोधी सूचना

1. यदि एक पक्ष, दूसरे पक्ष से व्यक्ति के कर मामलों के बारे में सूचना प्राप्त करता है जो उसे अपने पास उपलब्ध सूचना से परस्पर विरोधी प्रतीत होती है, तो यह उस पक्ष को ऐसी सलाह देगा जिसने यह सूचना उपलब्ध कराई है ।

### भाग-II - वसूली में सहायता

#### अनुच्छेद 11 - कर दावों की वसूली

1. आवेदक राज्य के अनुरोध पर, अनुरोधित राज्य अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के अध्यक्षीन प्रथमोल्लिखित राज्य के कर दावों की वसूली के लिए आवश्यक उपाय करेगा, मानो कि वे उसके अपने कर दावे हों ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध केवल उन कर दावों पर लागू होंगे जो आवेदक राज्य और अन्यथा जब तक कि संबंधित पक्षों के बीच सहमति न हो, में उनके प्रवर्तन को अनुमत करने वाले लिखत के विषय-वस्तु को तैयार करता है, जो विवादित नहीं है ।

तथापि, जहां दावा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हो, जो आवेदक राज्य का एक निवासी नहीं है, वहां पैराग्राफ 1 तभी लागू होगा, जब तक कि अन्यथा संबंधित पक्षों के बीच सहमति न हो, जहां दावा अब विवादित न हो ।

3. मृतक व्यक्ति अथवा उसकी सम्पदा से संबंधित कर दावों की वसूली में सहायता उपलब्ध कराने की बाध्यता सम्पदा अथवा सम्पदा के प्रत्येक लाभार्थी द्वारा अर्जित सम्पत्ति के मूल्य पर इस तथ्य के अनुसार सीमित होती है कि क्या दावे को सम्पदा से अथवा उसके लाभार्थियों से वसूल किया जाना होता है ।

### अनुच्छेद 12 - संरक्षणता के उपाय

आवेदक राज्य के अनुरोध पर, अनुरोधित राज्य कर की राशि की वसूली को ध्यान में रखते हुए संरक्षणता के उपाय करेगा, भले ही दावा विवादित हो अथवा अब तक प्रवर्तन की अनुमति देने वाले लिखत का विषय नहीं हो ।

### अनुच्छेद 13 - अनुरोध के साथ लगने वाले दस्तावेज

1. इस धारा के अंतर्गत प्रशासनिक सहायता के लिए अनुरोध निम्न के साथ होगा;
  - क. यह घोषणा कि कर दावा अभिसमय में सम्मिलित कर से संबंधित है और वसूली के मामले में, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 के अध्यक्षीन, कर दावा विवादित नहीं है अथवा नहीं हो सकता;
  - ख. आवेदक राज्य में प्रवर्तन को अनुमत करने वाले लिखत की कार्यालय प्रति; और
  - ग. वसूली अथवा संरक्षणता के उपाय के लिए अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज ।
2. आवेदक राज्य में प्रवर्तन को अनुमत करने वाले लिखत को जहां उपयुक्त हो और अनुरोधित राज्य में प्रवृत्त उपबंधों के अनुसार हो, परवर्ती राज्य में प्रवर्तन की अनुमति वाले लिखत के द्वारा सहायता के लिए अनुरोध की प्राप्ति की तारीख के बाद शीघ्रतिशीघ्र स्वीकृत अभिस्वीकृत, अनुपूरित अथवा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

### अनुच्छेद 14 - समय सीमाएं

1. किसी अवधि से संबंधित प्रश्नों को, जिसके बाद कर दावे को प्रवृत्त नहीं किया जा सकता है, आवेदक राज्य के कानून द्वारा अभिशासित किया जाएगा । सहायता के लिए अनुरोध में उस अवधि से संबंधित ब्यौरे दिए जाएंगे ।
2. सहायता हेतु अनुरोध के अनुसरण में, अनुरोधित राज्य द्वारा किए गए वसूली के कार्यों का जिसका उस राज्य के कानूनों के अनुसार पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अवधि के आस्थगन अथवा अवरोधन पर प्रभाव होगा और उसका आवेदक राज्य के कानूनों के अधीन भी ऐसा प्रभाव होगा । अनुरोधित राज्य ऐसे कार्यों के बारे में आवेदक राज्य को सूचित करेगा ।

3. किसी भी स्थिति में, अनुरोधित राज्य सहायता के लिए उस अनुरोध को मानने के लिए बाध्य नहीं है, जिसे प्रवर्तन को अनुमत करने वाले मूल लिखत की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के बाद प्रस्तुत किया जाता है ।

#### अनुच्छेद 15 - प्राथमिकता

कर दावा, जिसकी वसूली में सहायता प्रदान की जाती है, की अनुरोधित राज्य में कोई प्राथमिकता नहीं होगी, विशेष रूप से उस राज्य के कर दावों को प्रदान की जाती है, भले ही प्रयुक्त वसूली प्रक्रिया उसके अपने कर दावों पर लागू प्रक्रिया ही हो ।

#### अनुच्छेद 16 - भुगतान आस्थगन

अनुरोधित राज्य भुगतान का आस्थगन अथवा किस्तों में भुगतान करने की अनुमति दे सकता है, यदि इसके कानून अथवा प्रशासनिक प्रथा समान परिस्थितियों में इसे ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती है, परन्तु आवेदक राज्य को पहले सूचित किया जाएगा ।

#### भाग - III - दस्तावेज भेजना

#### अनुच्छेद 17 - दस्तावेज भेजना

1. आवेदक राज्य के अनुरोध पर अनुरोधित राज्य प्रेषिती को दस्तावेज भेजेगा, जिसमें, न्यायिक निर्णयों से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं, जो आवेदक राज्य से उत्पन्न होते हैं और जो इस अभिसमय में सम्मिलित कर से संबंधित हो ।

2. अनुरोधित राज्य निम्न रूप में दस्तावेजों को भेजेगा :

क. पर्याप्त रूप से मिलते - जुलते स्वरूप के दस्तावेजों को भेजने के लिए इसके आन्तरिक कानूनों द्वारा निर्धारित विधि द्वारा ;

ख. आवेदक राज्य द्वारा अनुरोधित एक विशेष विधि द्वारा सम्भव सीमा में अथवा इसके अपने कानूनों के तहत उपलब्ध ऐसी विधि के निकटतम सीमा में ।

3. कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यक्ति को डाक के माध्यम से सीधे दस्तावेज भेज सकता है ।

4. अभिसमय में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ किसी पक्ष द्वारा अपने कानूनों के अनुसार दस्तावेजों के किसी प्रेषण को अमान्य करने के रूप में लगाया जाएगा ।

5. जब किसी दस्तावेज को इस अनुच्छेद के अनुसार भेजा जाता है, तो इसे अनुवाद के साथ भेजना आवश्यक नहीं है । तथापि, यह समाधान हो जाता है कि प्रेषिती दस्तावेज की भाषा को नहीं समझ सकता है, अनुरोधित राज्य इसके अनुवाद की व्यवस्था करेगा अथवा अपनी राजभाषा में अथवा उनमें से किसी एक में इसका सार तैयार करेगा । विकल्पतः, आवेदक राज्य से दस्तावेज की या तो अनुवाद करने या फिर अनुरोधित राज्य, यूरोप की परिषद अथवा ओईसीडी की राजभाषाओं में से किसी एक में सार प्रस्तुत करने को कह सकता है ।

#### अध्याय-IV - सभी प्रकार की सहायता से संबंधित उपबंध

##### अनुच्छेद 18 - आवेदक राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सूचना

1. सहायता के लिए अनुरोध में, जहां उपयुक्त हो, निम्न को दर्शाया जाएगा;
  - क. प्राधिकारी अथवा एजेंसी जिसने सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध को शुरू किया है;
  - ख. नाम, पता अथवा उस व्यक्ति की पहचान में सहायता करने वाले कोई अन्य ब्यौरे, जिसके संबंध में अनुरोध किया जाता है;
  - ग. सूचना के लिए अनुरोध के मामले में, जिस रूप में आवेदक राज्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में इच्छा रखता है कि उस सूचना की आपूर्ति की जाए;
  - घ. वसूली अथवा संरक्षणता के उपायों में सहायता के लिए अनुरोध के मामले में, कर दावे का स्वरूप, कर दावे के संघटक और परिसम्पत्तियां, जिससे कर दावे की वसूली की जा सकता हो;
  - ड. दस्तावेजों को भेजने के लिए अनुरोध के मामले में, भेजे जाने वाले दस्तावेज का स्वरूप एवं विषय;
  - च. क्या यह आवेदक राज्य के कानून एवं प्रशासनिक प्रथा के अनुरूप है और क्या यह अनुच्छेद 21.2 छ की अपेक्षाओं को देखते हुए न्यायोचित है ।

2. जैसे ही सहायता के लिए अनुरोध से संबंधित कोई अन्य सूचना इसकी जानकारी में आती है, तो आवेदक राज्य इसे अनुरोधित राज्य को अग्रेषित करेगा।

### अनुच्छेद 19 - हटाया गया

### अनुच्छेद 20 - सहायता के लिए अनुरोध का प्रत्युत्तर

1. यदि सहायता के लिए अनुरोध को पूरा किया जाता है तो अनुरोधित राज्य आवेदक राज्य को, की गई कार्रवाई और सहायता के परिणाम के बारे में शीघ्रतः सूचित करेगा।
2. यदि अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है तो अनुरोधित राज्य आवेदक राज्य को उस निर्णय के बारे में और इसके कारण के बारे में यथा शीघ्र सूचित करेगा।
3. यदि सूचना के लिए अनुरोध के संबंध में आवेदक राज्य ने उस ढंग को विनिर्दिष्ट किया हो जिसमें वह सूचना की आपूर्ति चाहता है और अनुरोधित राज्य ऐसा करने की स्थिति में है, तो अनुरोधित राज्य, इसे अनुरोधित ढंग में सूचना सप्लाई करेगा।

### अनुच्छेद 21 - व्यक्तियों का संरक्षण और सहायता

#### प्रदान करने की बाध्यता की सीमाएं

1. इस अभिसमय में ऐसा कुछ नहीं है जो अनुरोधित राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के तहत व्यक्तियों के सुनिश्चित अधिकारों और रक्षोपायों को प्रभावित करेगा।
2. अनुच्छेद 14 के मामले को छोड़ कर, इस अभिसमय के उपबंधों का अर्थ अनुरोधित राज्य पर निम्नलिखित बाध्यता लगाना नहीं होगा;
  - क. इसके अपने कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा अथवा आवेदक राज्य के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर उपाय करना;
  - ख. ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (ऑडरे पब्लिक) के प्रतिकूल होगा;
  - ग. ऐसी सूचना की आपूर्ति करना जो इसके अपने कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा अथवा आवेदक राज्य के कानूनों अथवा उसके प्रशासनिक प्रथा के तहत प्राप्य नहीं हैं;
  - घ. ऐसी सूचना की आपूर्ति करना जो किसी व्यापार, कारोबार औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक भेद अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा ऐसी सूचना को प्रकट करेगा, जिसका प्रकटन सार्वजनिक नीति (ऑडरे पब्लिक) के प्रतिकूल होगा;
  - ङ. प्रशासनिक सहायता प्रदान करना यदि और जहां तक यह आवेदक राज्य में कराधान को, सामान्यतया स्वीकृत कराधान सिद्धान्तों अथवा दोहरे कराधान के परिहार के

- लिए अभिसमय के उपबंधों अथवा किसी अन्य अभिसमय जिसे अनुरोधित राज्य ने आवेदक राज्य के साथ निष्पन्न किया हो, के उपबंधों के प्रतिकूल मानते हैं;
- च. आवेदक राज्य अथवा उससे जुड़े किसी ऐसी अपेक्षा, जो अनुरोधित राज्य के किसी राष्ट्रिक के प्रति समान परिस्थितियों में आवेदक राज्य के किसी राष्ट्रिक की तुलना में भेद-भाव करती है, जैसा कि उन्हीं परिस्थितियों में आवेदक राज्य के राष्ट्रिक से तुलना की गई है; के कर कानून के उपबंध को प्रशासित करने अथवा प्रवृत्त करने के प्रयोजनार्थ प्रशासनिक सहायता प्रदान करना;
- छ. प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, यदि आवेदक राज्य ने अपने कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपबन्ध सभी उचित उपायों का पालन न किया हो, सिवाय उनके जहां ऐसे उपायों का आश्रय लेने से अत्यधिक अनुपातहीन मुश्किलें बढ़ेंगी;
- ज. उन मामलों में वसूली में सहायता प्रदान करना, जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ स्पष्ट रूप से आवेदक राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ के अनुपातहीन हो ।

3. यदि इस अभिसमय के अनुसार आवेदक राज्य द्वारा सूचना का अनुरोध किया जाता है, तो अनुरोधित राज्य अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का प्रयोग अनुरोधित सूचना को प्राप्त करने के लिए करेगा, भले ही अनुरोधित राज्य को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए नहीं हो । पूर्ववर्ती वाक्य में अंतर्निहित बाध्यता इस अभिसमय में निहित परिसीमाओं के अधीन है; परन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी परिसीमाओं, जिसमें विशेष रूप से पैराग्राफ 1 और 2 की वह सीमाएं शामिल हैं, का अर्थ एक अनुरोधित राज्य को सूचना की आपूर्ति न करने की अनुमति से नहीं लगाया जाएगा क्योंकि उसका ऐसी सूचना में आन्तरिक हित नहीं है ।

4. किसी भी स्थिति में इस अभिसमय के उपबंध जिसमें विशेष रूप से पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध शामिल हैं, का अर्थ केवल इसलिए राज्य को सूचना की आपूर्ति न करने की अनुमति से नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी अथवा न्यासी क्षमता में कार्य कर रहे नामिती अथवा व्यक्ति द्वारा धारित है अथवा यह व्यक्ति में स्वामित्व हितों से संबंधित है ।

### अनुच्छेद 22 - गोपनीयता

1. इस अभिसमय के अंतर्गत किसी पक्ष द्वारा प्राप्त की गई सूचना को उस पक्ष के आंतरिक कानून के अंतर्गत प्राप्त सूचना के अनुसार और उसी सीमा तक गुप्त एवं संरक्षित माना जाएगा जो उन सुरक्षोपायों के अनुसार व्यक्तिगत डाटा के संरक्षण के आवश्यक स्तर को

सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो जो कि आपूर्तिकर्ता पक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों, जो उसके आंतरिक कानूनों के तहत यथा अपेक्षित हों ।

2. ऐसी सूचना को किसी भी स्थिति में केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय अथवा प्रशासनिक अथवा पर्यवेक्षकीय निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उस पक्ष के करों के निर्धारण, संग्रहण अथवा वसूली तथा उसके संबंध में प्रवर्तन अथवा अभियोजन अथवा उसके संबंध में अपीलों के निर्धारण अथवा उपर्युक्त चूक के संबंध में है । केवल ऊपर उल्लिखित व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का प्रयोग कर सकते हैं और जो केवल इन्हीं प्रयोजनों के लिए ही प्रयोग किया जाएगा । वे पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी इसे सार्वजनिक न्यायालयों की कार्यवाहियों में अथवा ऐसे करों से संबंधित न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं ।

3. यदि एक पक्ष ने अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ-क में उपलब्ध कोई आरक्षण किया है, तो उस पक्ष से सूचना प्राप्त करने वाला कोई दूसरा पक्ष इसे आरक्षण के अध्यक्षीन किसी श्रेणी में कर के प्रयोजनार्थ प्रयोग नहीं करेगा । इसी तरह से ऐसा कोई अधिरक्षण करने वाला पक्ष अधिरक्षण के अध्यक्षीन किसी श्रेणी में कर के प्रयोजनार्थ इस अभिसमय के तहत प्राप्त की गई सूचना को प्रयोग नहीं करेगा ।

4. पैराग्राफ 1, 2 और 3 के उपबंधों के होते हुए भी एक पक्ष द्वारा प्राप्त की गई सूचना को दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जब ऐसी सूचना को आपूर्तिकर्ता पक्ष के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता हो और उस पक्ष का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करता हो । एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उपलब्ध कराई गई सूचना को परवर्ती पक्ष द्वारा प्रथमोल्लिखित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व प्राधिकरण के तहत तीसरे पक्ष को भेजा जा सकता है ।

### अनुच्छेद 23 - कार्यवाहियाँ

1. अनुरोधित राज्य द्वारा इस अभिसमय के अंतर्गत किए गए उपायों से संबंधित कार्यवाहियों को सिर्फ उस राज्य के उपयुक्त निकाय के समक्ष लाया जाएगा ।

2. आवेदक राज्य द्वारा इस अभिसमय के तहत किए गए उपायों से संबंधित कार्यवाहियों को, जो विशेष रूप से वह, जो वसूली के क्षेत्र में कर दावे के अस्तित्व अथवा राशि अथवा इसके प्रवर्तन को अनुमत करने वाले लिखित से संबंधित है, को केवल उस राज्य के उपयुक्त निकाय के समक्ष लाया जाएगा । यदि ऐसी कार्यवाहियों को उनके समक्ष लाया जाता है, तो आवेदक राज्य अनुरोधित राज्य को सूचित करेगा, जो प्रश्नाधीन निकाय के निर्णय लंबित होने के कारण प्रक्रिया को आस्थगित करेगा । तथापि, यदि आवेदक राज्य द्वारा पूछा जाता है तो अनुरोधित राज्य वसूली के रक्षोपाय की संरक्षणता के उपाय करेगा । अनुरोधित राज्य को किसी इच्छुक

व्यक्ति द्वारा भी ऐसी कार्यवाहियों के बारे में सूचित किया जा सकता है। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर अनुरोधित राज्य, यदि आवश्यक हो, तो मामले के संबंध में आवेदक राज्य से परामर्श करेगा।

3. जैसे ही कार्यवाहियों में अंतिम निर्णय दिया गया हो, अनुरोधित राज्य अथवा आवेदक राज्य, जैसा भी मामला हो, निर्णय और निहितार्थों के बारे में दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा, जो इसकी सहायता के लिए अनुरोध हेतु है।

#### अध्याय V - विशेष उपबंध

##### अनुच्छेद 24 - अभिसमय को लागू करना

1. पक्ष अपने संबंधित सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से इस अभिसमय को लागू करने के लिए एक-दूसरे के साथ सम्पर्क करेंगे। सक्षम प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए सीधे सम्पर्क कर सकते हैं और अधीनस्थ प्राधिकारियों को अपनी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। दो अथवा अधिक पक्षों के सक्षम प्राधिकारी आपस में अभिसमय को लागू करने के ढंग के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं।
2. जहां, अनुरोधित राज्य समझता है कि एक विशेष मामले में इस अभिसमय को लागू करने से गम्भीर एवं अवांछनीय परिणाम होंगे, वहां, अनुरोधित और आवेदक राज्य के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे से परामर्श करेंगे और पारस्परिक सहति से स्थिति को हल करने का प्रयास करेंगे।
3. पक्षों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों वाला समन्वयकारी निकाय, ओईसीडी के संरक्षणाधीन इस अभिसमय के क्रियान्वयन एवं विकास को मॉनीटर करेगा। इस स्तर पर समन्वयकारी निकाय किसी कार्रवाई की अनुशंसा करेगा जिसे संभवतः अभिसमय के सामान्य लक्ष्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। विशेषतः, यह कर मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए नई विधियों एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा, और जहां उपयुक्त हो यह अभिसमय में पुनरीक्षा अथवा संशोधनों की सिफारिश करेगा, वे राज्य, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं परन्तु अभिसमय को अभी अनुसमर्थन, स्वीकृत अथवा अनुमोदित नहीं किया है, प्रेक्षकों के रूप में समन्वयकारी निकाय की बैठकों में प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए हकदार हैं।
4. पक्ष, समन्वय निकाय को अभिसमय के उपबंधों की व्याख्या पर राय प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

5. जहां, अभिसमय के क्रियान्वयन अथवा व्याख्या के संबंध में दो अथवा अधिक पक्षों के बीच कठिनाईयां अथवा संदेह उत्पन्न हों, वहां उन पक्षों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेंगे। सहमति को समन्वय निकाय को भेजा जाएगा।

6. ओईसीडी का महासचिव, उपर्युक्त पैराग्राफ 4 के उपबंधों और उपर्युक्त पैराग्राफ 5 के अंतर्गत हुई पारस्परिक सहमति के अनुसार समन्वयकारी निकाय द्वारा दी गई राय को उन पक्षों और हस्ताक्षरकर्त्ता राज्य जिन्होंने अभी तक अभिसमय को अनुसमर्थित, स्वीकृत अथवा अनुमोदित नहीं किया है, को सूचित करेगा।

### अनुच्छेद 25 - भाषा

सहायता के लिए अनुरोधों और इनसे संबंधित उत्तरों को ओईसीडी के और यूरोप की परिषद की राजभाषाओं में से किसी एक में अथवा संबंधित संविदाकारी राज्यों के बीच द्विपक्षीय रूप से सहमत किसी अन्य भाषा में तैयार किया जाएगा।

### अनुच्छेद 26 - लागतें

जब तक अन्यथा संबंधित पक्षों द्वारा द्विपक्षीय रूप में सहमति न हो, :-

- क. सहायता प्रदान करने में उपगत साधारण लागतों को अनुरोधित राज्य द्वारा वहन किया जाएगा ;
- ख. सहायता प्रदान करने में उपगत असाधारण लागतों को आवेदक राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

### अनुच्छेद VI - अंतिम उपबंध

#### अनुच्छेद 27 - अन्य अंतरराष्ट्रीय करार अथवा व्यवस्थाएं

1. इस अभिसमय द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की संभावनाएं संबंधित पक्षों अथवा अन्य लिखतों, जो कर मामलों में सहयोग से संबंधित हैं, के बीच मौजूदा अथवा भावी अंतरराष्ट्रीय करारों अथवा अन्य व्यवस्थाओं को सीमित नहीं करती और न ही उनसे सीमित होती हैं।

2. पैराग्राफ 1 के होते हुए भी, वे पक्ष, जो यूरोपीयन संघ के सदस्य राज्य हैं, अपने पारस्परिक संबंधों में अभिसमय द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की संभावनाओं को लागू कर सकते हैं। जहां तक कि उन्हें अनुप्रयोज्य यूरोपीयन यूनियन नियमों के तहत प्रस्तावित संभावनाओं की अपेक्षा व्यापक सहयोग प्रदान करने की अनुमति है।

### अनुच्छेद 28 - अभिसमय पर हस्ताक्षर करना और उसे लागू करना

1. यह अभिसमय, यूरोप के परिषद के सदस्य राज्यों और ओईसीडी के सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा। यह अनुसमर्थन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन के अध्यधीन है। अनुसमर्थन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन के लिखतों को किसी एक न्यासधारी के पास जमा किया जाएगा।
2. यह अभिसमय उस तारीख के बाद तीन महीने की अवधि के समाप्त होने के अगले माह के प्रथम दिन को लागू होगा जिस तारीख को पांच राज्यों ने पैराग्राफ 1 के उपबंधों के अनुसार अभिसमय द्वारा बाध्य होने की अपनी सहमति को अभिव्यक्त किया है।
3. यूरोप के परिषद के किसी सदस्य राज्य अथवा ओईसीडी के किसी सदस्य देश के संबंध में जिसने इसके द्वारा बाध्य होने की अपनी सहमति बाद में अभिव्यक्त की हो, अभिसमय, अनुसमर्थन, स्वीकृति अथवा मंजूरी की लिखत को जमा करने की तारीख के बाद तीन महीने की अवधि समाप्त होने के अगले माह के प्रथम दिन को लागू होगा।
4. यूरोप के परिषद का कोई सदस्य राज्य अथवा ओईसीडी का कोई सदस्य देश, जो इस अभिसमय के संशोधनकारी प्रोटोकॉल जो 27 मई, 2010 (2010 का प्रोटोकॉल) के लिए हस्ताक्षर हेतु खुला है, के लागू होने के बाद अभिसमय का एक पक्ष बनता है, तब तक उस प्रोटोकॉल द्वारा यथा-संशोधित अभिसमय का एक पक्ष होगा जब तक कि वे किसी एक न्यासधारी को लिखित संसूचना में अलग-अलग अभिप्राय को अभिव्यक्त नहीं करते हैं।
5. 2010 प्रोटोकॉल को लागू करने के बाद, कोई भी राज्य, जो यूरोप के परिषद का अथवा ओईसीडी का सदस्य नहीं है, 2010 प्रोटोकॉल द्वारा यथा संशोधित अभिसमय पर हस्ताक्षर करने और इसका अनुसमर्थन करने के लिए आमंत्रित किए जाने का अनुरोध कर सकता है। इस संबंध में किसी भी अनुरोध को किसी भी एक न्यासधारी को भेजा जाएगा, जो उसे पक्षों को भेजेगा। न्यासधारी यूरोप के परिषद के मंत्रियों की समिति और ओईसीडी परिषद को भी सूचित करेगा। राज्यों को आमंत्रित करने का निर्णय, जो इस अभिसमय का पक्ष बनने के लिए इस तरह अनुरोध करते हैं, अभिसमय के पक्षों द्वारा समन्वय निकाय के माध्यम से सर्वसम्मति से लिया जाएगा। किसी राज्य के संबंध में जो इस पैराग्राफ के अनुसार 2010 प्रोटोकॉल द्वारा यथा-

संशोधित अभिसमय का अनुसमर्थन करता है, यह अभिसमय, किसी एक न्यासधारी के पास अनुसमर्थन का लिखत जमा करने की तारीख के बाद तीन महीने की अवधि की समाप्ति के अगले माह के प्रथम दिन को लागू होगा।

6. 2010 प्रोटोकॉल द्वारा यथा-संशोधित इस अभिसमय के उपबंध, जो उस वर्ष के अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली कराधेय अवधियों से संबंधित प्रशासनिक सहायता के लिए लागू होगा जिसमें, 2010 प्रोटोकॉल द्वारा यथा-संशोधित अभिसमय किसी पक्ष के संबंध में लागू होता है अथवा जहां, उस वर्ष के अनुवर्ती वर्ष की पहली जनवरी को अथवा उसके बाद उद्भूत कर प्रभारों से संबंधित प्रशासनिक सहायता के लिए कोई कराधेय अवधि नहीं है, जिस वर्ष में 2010 प्रोटोकॉल द्वारा यथा-संशोधित अभिसमय किसी पक्ष के संबंध में लागू किया गया है। कोई दो अथवा अधिक पक्ष पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं कि 2010 प्रोटोकॉल द्वारा यथा-संशोधित अभिसमय, पूर्ववर्ती कराधेय अवधियों अथवा कर प्रभारों से संबंधित प्रशासनिक सहायता के लिए प्रभावी होंगे।

7. पैराग्राफ 6 के होते हुए भी, कर मामले, जिनमें सभिप्राय व्यवहार शामिल है, जो आवेदक पक्ष के आपराधिक कानूनों के तहत अभियोजन के लिए दायी है, 2010 प्रोटोकॉल द्वारा यथा-संशोधित इस अभिसमय के उपबंध पूर्ववर्ती कराधेय अवधियों अथवा कर प्रभारों के संबंध में पक्ष के संबंध में लागू करने की तारीख से प्रभावी होगा।

### अनुच्छेद 29 - अभिसमय का राज्यक्षेत्रीय अनुप्रयोजन

1. प्रत्येक राज्य हस्ताक्षर के समय अथवा इसके अनुसमर्थन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन का लिखत जमा करते समय उस राज्यक्षेत्र अथवा राज्यक्षेत्रों का उल्लेख कर सकता है, जिस पर यह अभिसमय लागू होगा।

2. कोई भी राज्य किसी भी बाद की तारीख को, किसी एक न्यासधारी का संबोधित घोषणा द्वारा घोषणा में विनिर्दिष्ट किसी दूसरे राज्यक्षेत्र पर इस अभिसमय के अनुप्रयोजन को बढ़ा सकता है। ऐसे राज्यक्षेत्र के संबंध में अभिसमय न्यासधारी द्वारा ऐसी घोषणा की प्राप्ति की तारीख के बाद तीन महीनों की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को लागू होगा।

3. दो पूर्ववर्ती पैराग्राफों में से किसी एक के तहत की गई कोई घोषणा, जो ऐसी घोषणा में विनिर्दिष्ट किसी राज्यक्षेत्र के संबंध में हो, को किसी एक न्यासधारी को संबोधित अधिसूचना द्वारा वापिस लिया जा सकता है। वापसी, न्यासधारी द्वारा ऐसी अधिसूचना की प्राप्ति की

तारीख के बाद तीन महीने की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगी।

### अनुच्छेद 30 - प्रारक्षण

1. कोई भी राज्य, हस्ताक्षर करते समय अथवा अनुसमर्थन, स्वीकृति अथवा मंजूरी के अपने लिखत को जमा करते समय अथवा किसी परवर्ती तारीख में घोषणा कर सकता है कि यह निम्न अधिकार को प्रारक्षित करता है :-

- क. अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ ख में सूचीबद्ध श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में दूसरे पक्षों के करों के संबंध में किसी भी रूप में सहायता प्रदान न करना, बशर्ते कि अभिसमय के अनुबंध के तहत उस श्रेणी में किसी आंतरिक कर को शामिल नहीं किया गया हो;
- ख. सभी करों के लिए अथवा केवल अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 1 में सूचीबद्ध एक अथवा अधिक श्रेणियों के करों के लिए किसी कर दावे की वसूली में अथवा किसी प्रशासनिक जुर्माने की वसूली में सहायता प्रदान नहीं करना;
- ग. किसी कर दावे के संबंध में सहायता उपलब्ध नहीं कराना, जो उस राज्य के संबंध में अभिसमय को लागू करने की तारीख को अस्तित्व में है अथवा जहां, प्रश्नाधीन श्रेणी में करों के संबंध में ऐसे प्रारक्षण के वापसी की तारीख को उपर्युक्त उप-पैराग्राफ क अथवा ख के तहत पूर्व में कोई प्रारक्षण किया गया हो;
- घ. सभी करों के लिए अथवा केवल अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 1 में सूचीबद्ध एक अथवा अधिक श्रेणियों में करों के लिए प्रलेखों को भेजने में सहायता प्रदान नहीं करना;
- ड. डाक के माध्यम से प्रलेखों को भेजने की अनुमति नहीं देना, जैसा कि अनुच्छेद 17 के पैराग्राफ 3 में उपलब्ध है;
- च. अनुच्छेद 28 के पैराग्राफ 7 को विशेष रूप से उस वर्ष के पूर्ववर्ती तीसरे वर्ष की पहली जनवरी को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली कराधेय अवधियों से संबंधित प्रशासनिक सहायता हेतु लागू करना जिस वर्ष में 2010 प्रोटोकॉल द्वारा यथा-संशोधित अभिसमय को किसी पक्ष के संबंध में लागू किया गया हो अथवा जहां, उस वर्ष के पूर्ववर्ती तीसरे वर्ष की पहली जनवरी को अथवा उसके बाद उद्भूत कर प्रभारों से संबंधित प्रशासनिक सहायता के लिए कोई कराधेय अवधि नहीं हो,

जिस वर्ष में 2010 प्रोटोकॉल द्वारा यथा-संशोधित अभिसमय को किसी पक्ष के संबंध में लागू किया गया हो।

2. कोई अन्य प्रारक्षण नहीं किया जा सकता।
3. किसी पक्ष के संबंध में अभिसमय को लागू करने के बाद वह पक्ष पैराग्राफ 1 में सूचीबद्ध एक अथवा अधिक प्रारक्षणों को कर सकता है, जिसे इसने अनुसमर्थन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन के समय नहीं किया है। ऐसे प्रारक्षण को किसी एक न्यासधारी द्वारा प्रारक्षण की प्राप्ति की तारीख के बाद तीन महीने की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को लागू किया जाएगा।
4. कोई भी पक्ष जिसने पैराग्राफ 1 और 3 के तहत कोई प्रारक्षण किया है, पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से किसी एक न्यासधारी को सम्बोधित अधिसूचना के द्वारा इसे वापिस ले सकता है। वापसी प्रश्नाधीन न्यासधारी द्वारा ऐसी अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख को लागू होगी।
5. कोई पक्ष, जिसने इस अभिसमय के उपबंध के संबंध में कोई प्रारक्षण किया हो, किसी दूसरे पक्ष द्वारा उस उपबंध को लागू करने की अपेक्षा नहीं कर सकता, तथापि, यदि इसका प्रारक्षण आंशिक हो, तो उस उपबंध को लागू करने की अपेक्षा कर सकता है, जहां तक उसने इसे स्वयं स्वीकार किया हो।

#### अनुच्छेद 31 - समापन

1. कोई भी पक्ष, किसी भी समय न्यासधारियों में से किसी एक न्यासधारी को भेजी गई अधिसूचना के द्वारा इस अभिसमय को समाप्त कर सकता है।
2. ऐसा समापन, न्यासधारी द्वारा अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के बाद तीन महीने की अवधि के समाप्त होने के अगले माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगा।
3. कोई भी पक्ष, जो अभिसमय को समाप्त करता है, अनुच्छेद 22 के उपबंध के तहत बाध्यकारी होगा, जब तक कि वह अभिसमय के अंतर्गत प्राप्त किए गए किन्हीं दस्तावेजों अथवा सूचना को अपने स्वामित्व में रखता है।

#### अनुच्छेद 32 - न्यासधारी और उनके कार्य

1. न्यासधारी, जिसके साथ अधिनियम, अधिसूचना अथवा पत्र-व्यवहार निष्पादित किया गया हो, यूरोप परिषद के सदस्य राज्यों और ओईसीडी के सदस्य देशों तथा इस अभिसमय के किसी पक्ष को निम्न के बारे में अधिसूचित करेगा :

- क. कोई हस्ताक्षर;
- ख. अनुसमर्थन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन की किसी लिखत के जमा;
- ग. अनुच्छेद 28 और 29 के उपबंधों के अनुसार इस अभिसमय को लागू करने की कोई तारीख;
- घ. अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 3 अथवा अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अनुसरण में की गई कोई घोषणा और ऐसी घोषणा को वापस लेना;
- ड. अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अनुसरण में किया गया कोई आरक्षण और अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 4 के उपबंधों के अनुसरण में किए गए किसी आरक्षण को वापिस लेना;
- च. अनुच्छेद 2 के पैराग्राफ 3 अथवा 4, अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 3, अनुच्छेद 29 अथवा अनुच्छेद 31 के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के अनुसरण में प्राप्त की गई कोई अधिसूचना;
- छ. इस अभिसमय से संबंधित कोई अन्य अधिनियम, अधिसूचना अथवा पत्र-व्यवहार ।

2. पत्र-व्यवहार प्राप्त करने पर अथवा पैराग्राफ 1 के उपबंधों के अनुसरण में अधिसूचना करने वाला न्यासधारी इस संबंध में दूसरे न्यासधारी को तत्काल सूचित करेगा ।

जिसके साक्ष्य में विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं ।

कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता पर अभिसमय को संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 14 के अनुसरण में जून, 2011 के प्रथम दिवस को न्यासियों द्वारा अंग्रेजी और फ्रेंच में निष्पन्न किया गया, दोनों पाठ समान रूप में प्रामाणिक हैं, जिसकी दो प्रतियों में से एक प्रति को प्रत्येक न्यासधारियों के अभिलेखागार में जमा किया जाएगा । न्यासधारी प्रोटोकॉल द्वारा यथा-संशोधित अभिसमय को करने वाले प्रत्येक पक्ष को तथा पक्ष बनने के लिए पात्र प्रत्येक राज्य को प्रमाणित प्रति प्रेषित करेगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

संजय कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th August, 2012

**(INCOME-TAX)**

**s.O. 1990(E).**— Whereas, a Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matter and as amended by the 2010 protocol was signed by the Republic of India at the headquarters of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) at Paris on the 26<sup>th</sup> day of January, 2012 (hereinafter referred to as the said Convention);

And, whereas, the instrument of ratification was deposited in OECD on 21<sup>st</sup> February 2010, the date of entry into force of the said convention for India is the 1<sup>st</sup> day of June, 2012 in accordance with paragraph 3 of Article 28 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of the Convention for Mutual Administrative Assistance on Tax Matters, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from the 1<sup>st</sup> June, 2012, that is, the date of entry into force of the said Convention.

[Notification No. 35/2012/F.No. 500/154/2009-FTD-I]

SANJAY KUMAR, MISHRA, Jt. Secy.

**CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS**

**Text amended by the provisions of the Protocol amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, which entered into force on 1st June 2011.**

**Preamble**

The member States of the Council of Europe and the member countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), signatories of this Convention,

Considering that the development of international movement of persons, capital, goods and services – although highly beneficial in itself – has increased the possibilities of tax avoidance and evasion and therefore requires increasing co-operation among tax authorities;

Welcoming the various efforts made in recent years to combat tax avoidance and tax evasion on an international level, whether bilaterally or multilaterally;

Considering that a co-ordinated effort between States is necessary in order to foster all forms of administrative assistance in matters concerning taxes of any kind whilst at the same time ensuring adequate protection of the rights of taxpayers;

Recognising that international co-operation can play an important part in facilitating the proper determination of tax liabilities and in helping the taxpayer to secure his rights;

Considering that fundamental principles entitling every person to have his rights and obligations determined in accordance with a proper legal procedure should be recognised as applying to tax matters in all States and that States should endeavour to protect the legitimate interests of taxpayers, including appropriate protection against discrimination and double taxation;

Convinced therefore that States should carry out measures or supply information, having regard to the necessity of protecting the

confidentiality of information, and taking account of international instruments for the protection of privacy and flows of personal data;

Considering that a new co-operative environment has emerged and that it is desirable that a multilateral instrument is made available to allow the widest number of States to obtain the benefits of the new co-operative environment and at the same time implement the highest international standards of co-operation in the tax field;

Desiring to conclude a convention on mutual administrative assistance in tax matters,

Have agreed as follows:

## CHAPTER I – SCOPE OF THE CONVENTION

### *Article 1 – Object of the Convention and persons covered*

1. The Parties shall, subject to the provisions of Chapter IV, provide administrative assistance to each other in tax matters. Such assistance may involve, where appropriate, measures taken by judicial bodies.
2. Such administrative assistance shall comprise:
  - a. exchange of information, including simultaneous tax examinations and participation in tax examinations abroad;
  - b. assistance in recovery, including measures of conservancy;  
and
  - c. service of documents.
3. A Party shall provide administrative assistance whether the person affected is a resident or national of a Party or of any other State.

### *Article 2 – Taxes covered*

1. This Convention shall apply:
  - a. to the following taxes:
    - i. taxes on income or profits,
    - ii. taxes on capital gains which are imposed separately from the tax on income or profits,
    - iii. taxes on net wealth,imposed on behalf of a Party; and
  - b. to the following taxes:
    - i. taxes on income, profits, capital gains or net wealth which are imposed on behalf of political subdivisions or local authorities of a Party,
    - ii. compulsory social security contributions payable to general government or to social security institutions established under public law, and
    - iii. taxes in other categories, except customs duties, imposed on behalf of a Party, namely:
      - A. estate, inheritance or gift taxes,
      - B. taxes on immovable property,
      - C. general consumption taxes, such as value added or sales taxes,
      - D. specific taxes on goods and services such as excise taxes,
      - E. taxes on the use or ownership of motor vehicles,
      - F. taxes on the use or ownership of movable property other than motor vehicles,
      - G. any other taxes;
    - iv. taxes in categories referred to in sub-paragraph iii. above which are imposed on behalf of political subdivisions or local authorities of a Party.

2. The existing taxes to which the Convention shall apply are listed in Annex A in the categories referred to in paragraph 1.

3. The Parties shall notify the Secretary General of the Council of Europe or the Secretary General of OECD (hereinafter referred to as the "Depositaries") of any change to be made to Annex A as a result of a modification of the list mentioned in paragraph 2. Such change shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Depositary.

4. The Convention shall also apply, as from their adoption, to any identical or substantially similar taxes which are imposed in a Contracting State after the entry into force of the Convention in respect of that Party in addition to or in place of the existing taxes listed in Annex A and, in that event, the Party concerned shall notify one of the Depositaries of the adoption of the tax in question.

## CHAPTER II – GENERAL DEFINITIONS

### *Article 3 – Definitions*

1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:

- a. the terms "applicant State" and "requested State" mean respectively any Party applying for administrative assistance in tax matters and any Party requested to provide such assistance;
- b. the term "tax" means any tax or social security contribution to which the Convention applies pursuant to Article 2;
- c. the term "tax claim" means any amount of tax, as well as interest thereon, related administrative fines and costs incidental to recovery, which are owed and not yet paid;
- d. the term "competent authority" means the persons and authorities listed in Annex B;
- e. the term "nationals" in relation to a Party means:
  - i. all individuals possessing the nationality of that Party, and

- ii. all legal persons, partnerships, associations and other entities deriving their status as such from the laws in force in that Party.

For each Party that has made a declaration for that purpose, the terms used above will be understood as defined in Annex C.

2. As regards the application of the Convention by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that Party concerning the taxes covered by the Convention.

3. The Parties shall notify one of the Depositaries of any change to be made to Annexes B and C. Such change shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Depositary in question.

### CHAPTER III – FORMS OF ASSISTANCE

#### SECTION I – EXCHANGE OF INFORMATION

##### *Article 4 – General provision*

1. The Parties shall exchange any information, in particular as provided in this section, that is foreseeably relevant for the administration or enforcement of their domestic laws concerning the taxes covered by this Convention.

2. Deleted.

3. Any Party may, by a declaration addressed to one of the Depositaries, indicate that, according to its internal legislation, its

authorities may inform its resident or national before transmitting information concerning him, in conformity with Articles 5 and 7.

***Article 5 – Exchange of information on request***

1. At the request of the applicant State, the requested State shall provide the applicant State with any information referred to in Article 4 which concerns particular persons or transactions.
2. If the information available in the tax files of the requested State is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that State shall take all relevant measures to provide the applicant State with the information requested.

***Article 6 – Automatic exchange of information***

With respect to categories of cases and in accordance with procedures which they shall determine by mutual agreement, two or more Parties shall automatically exchange the information referred to in Article 4.

***Article 7 – Spontaneous exchange of information***

1. A Party shall, without prior request, forward to another Party information of which it has knowledge in the following circumstances:
  - a. the first-mentioned Party has grounds for supposing that there may be a loss of tax in the other Party;
  - b. a person liable to tax obtains a reduction in or an exemption from tax in the first-mentioned Party which would give rise to an increase in tax or to liability to tax in the other Party;
  - c. business dealings between a person liable to tax in a Party and a person liable to tax in another Party are conducted through one or more countries in such a way that a saving in tax may result in one or the other Party or in both;
  - d. a Party has grounds for supposing that a saving of tax may result from artificial transfers of profits within groups of enterprises;

e. information forwarded to the first-mentioned Party by the other Party has enabled information to be obtained which may be relevant in assessing liability to tax in the latter Party.

2. Each Party shall take such measures and implement such procedures as are necessary to ensure that information described in paragraph 1 will be made available for transmission to another Party.

#### ***Article 8 – Simultaneous tax examinations***

1. At the request of one of them, two or more Parties shall consult together for the purposes of determining cases and procedures for simultaneous tax examinations. Each Party involved shall decide whether or not it wishes to participate in a particular simultaneous tax examination.

2. For the purposes of this Convention, a simultaneous tax examination means an arrangement between two or more Parties to examine simultaneously, each in its own territory, the tax affairs of a person or persons in which they have a common or related interest, with a view to exchanging any relevant information which they so obtain.

#### ***Article 9 – Tax examinations abroad***

1. At the request of the competent authority of the applicant State, the competent authority of the requested State may allow representatives of the competent authority of the applicant State to be present at the appropriate part of a tax examination in the requested State.

2. If the request is acceded to, the competent authority of the requested State shall, as soon as possible, notify the competent authority of the applicant State about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested State for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the requested State.

3. A Party may inform one of the Depositories of its intention not to accept, as a general rule, such requests as are referred to in paragraph 1. Such a declaration may be made or withdrawn at any time.

**Article 10 – Conflicting information**

If a Party receives from another Party information about a person's tax affairs which appears to it to conflict with information in its possession, it shall so advise the Party which has provided the information.

**SECTION II - ASSISTANCE IN RECOVERY****Article 11 – Recovery of tax claims**

1. At the request of the applicant State, the requested State shall, subject to the provisions of Articles 14 and 15, take the necessary steps to recover tax claims of the first-mentioned State as if they were its own tax claims.

2. The provision of paragraph 1 shall apply only to tax claims which form the subject of an instrument permitting their enforcement in the applicant State and, unless otherwise agreed between the Parties concerned, which are not contested.

However, where the claim is against a person who is not a resident of the applicant State, paragraph 1 shall only apply, unless otherwise agreed between the Parties concerned, where the claim may no longer be contested.

3. The obligation to provide assistance in the recovery of tax claims concerning a deceased person or his estate, is limited to the value of the estate or of the property acquired by each beneficiary of the estate, according to whether the claim is to be recovered from the estate or from the beneficiaries thereof.

**Article 12 – Measures of conservancy**

At the request of the applicant State, the requested State shall, with a view to the recovery of an amount of tax, take measures of conservancy even if the claim is contested or is not yet the subject of an instrument permitting enforcement.

**Article 13 – Documents accompanying the request**

1. The request for administrative assistance under this section shall be accompanied by:

- a. a declaration that the tax claim concerns a tax covered by the Convention and, in the case of recovery that, subject to paragraph 2 of Article 11, the tax claim is not or may not be contested,
  - b. an official copy of the instrument permitting enforcement in the applicant State, and
  - c. any other document required for recovery or measures of conservancy.
2. The instrument permitting enforcement in the applicant State shall, where appropriate and in accordance with the provisions in force in the requested State, be accepted, recognised, supplemented or replaced as soon as possible after the date of the receipt of the request for assistance, by an instrument permitting enforcement in the latter State.

#### ***Article 14 – Time limits***

1. Questions concerning any period beyond which a tax claim cannot be enforced shall be governed by the law of the applicant State. The request for assistance shall give particulars concerning that period.
2. Acts of recovery carried out by the requested State in pursuance of a request for assistance, which, according to the laws of that State, would have the effect of suspending or interrupting the period mentioned in paragraph 1, shall also have this effect under the laws of the applicant State. The requested State shall inform the applicant State about such acts.
3. In any case, the requested State is not obliged to comply with a request for assistance which is submitted after a period of 15 years from the date of the original instrument permitting enforcement.

#### ***Article 15 – Priority***

The tax claim in the recovery of which assistance is provided shall not have in the requested State any priority specially accorded to the tax claims of that State even if the recovery procedure used is the one applicable to its own tax claims.

**Article 16 – Deferral of payment**

The requested State may allow deferral of payment or payment by installments if its laws or administrative practice permit it to do so in similar circumstances, but shall first inform the applicant State.

**SECTION III – SERVICE OF DOCUMENTS****Article 17 – Service of documents**

1. At the request of the applicant State, the requested State shall serve upon the addressee documents, including those relating to judicial decisions, which emanate from the applicant State and which relate to a tax covered by this Convention.
2. The requested State shall effect service of documents:
  - a. by a method prescribed by its domestic laws for the service of documents of a substantially similar nature;
  - b. to the extent possible, by a particular method requested by the applicant State or the closest to such method available under its own laws.
3. A Party may effect service of documents directly through the post on a person within the territory of another Party.
4. Nothing in the Convention shall be construed as invalidating any service of documents by a Party in accordance with its laws.
5. When a document is served in accordance with this article, it need not be accompanied by a translation. However, where it is satisfied that the addressee cannot understand the language of the document, the requested State shall arrange to have it translated into or a summary drafted in its or one of its official languages. Alternatively, it may ask the applicant State to have the document either translated into or accompanied by a summary in one of the official languages of the requested State, the Council of Europe or the OECD.

**CHAPTER IV – PROVISIONS RELATING TO ALL FORMS OF ASSISTANCE**

**Article 18 – Information to be provided by the applicant State**

1. A request for assistance shall indicate where appropriate:
  - a. the authority or agency which initiated the request made by the competent authority;
  - b. the name, address, or any other particulars assisting in the identification of the person in respect of whom the request is made;
  - c. in the case of a request for information, the form in which the applicant State wishes the information to be supplied in order to meet its needs;
  - d. in the case of a request for assistance in recovery or measures of conservancy, the nature of the tax claim, the components of the tax claim and the assets from which the tax claim may be recovered;
  - e. in the case of a request for service of documents, the nature and the subject of the document to be served;
  - f. whether it is in conformity with the law and administrative practice of the applicant State and whether it is justified in the light of the requirements of Article 21.2.g.
2. As soon as any other information relevant to the request for assistance comes to its knowledge, the applicant State shall forward it to the requested State.

**Article 19 – Deleted****Article 20 – Response to the request for assistance**

1. If the request for assistance is complied with, the requested State shall inform the applicant State of the action taken and of the result of the assistance as soon as possible.
2. If the request is declined, the requested State shall inform the applicant State of that decision and the reason for it as soon as possible.
3. If, with respect to a request for information, the applicant State has specified the form in which it wishes the information to be supplied

and the requested State is in a position to do so, the requested State shall supply it in the form requested.

**Article 21 – Protection of persons and limits to the obligation to provide assistance**

1. Nothing in this Convention shall affect the rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested State.

2. Except in the case of Article 14, the provisions of this Convention shall not be construed so as to impose on the requested State the obligation:

- a. to carry out measures at variance with its own laws or administrative practice or the laws or administrative practice of the applicant State;
- b. to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);
- c. to supply information which is not obtainable under its own laws or its administrative practice or under the laws of the applicant State or its administrative practice;
- d. to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret, or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public);
- e. to provide administrative assistance if and insofar as it considers the taxation in the applicant State to be contrary to generally accepted taxation principles or to the provisions of a convention for the avoidance of double taxation, or of any other convention which the requested State has concluded with the applicant State;

- f. to provide administrative assistance for the purpose of administering or enforcing a provision of the tax law of the

applicant State, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested State as compared with a national of the applicant State in the same circumstances;

- g. to provide administrative assistance if the applicant State has not pursued all reasonable measures available under its laws or administrative practice, except where recourse to such measures would give rise to disproportionate difficulty;
- h. to provide assistance in recovery in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the applicant State.

3. If information is requested by the applicant State in accordance with this Convention, the requested State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though the requested State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations contained in this Convention, but in no case shall such limitations, including in particular those of paragraphs 1 and 2, be construed to permit a requested State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

4. In no case shall the provisions of this Convention, including in particular those of paragraphs 1 and 2, be construed to permit a requested State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

**Article 22 – Secrecy**

1. Any information obtained by a Party under this Convention shall be treated as secret and protected in the same manner as information obtained under the domestic law of that Party and, to the extent needed to ensure the necessary level of protection of personal data, in accordance with the safeguards which may be specified by the supplying Party as required under its domestic law.
2. Such information shall in any case be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative or supervisory bodies) concerned with the assessment, collection or recovery of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, taxes of that Party, or the oversight of the above. Only the persons or authorities mentioned above may use the information and then only for such purposes. They may, notwithstanding the provisions of paragraph 1, disclose it in public court proceedings or in judicial decisions relating to such taxes.
3. If a Party has made a reservation provided for in sub-paragraph a. of paragraph 1 of Article 30, any other Party obtaining information from that Party shall not use it for the purpose of a tax in a category subject to the reservation. Similarly, the Party making such a reservation shall not use information obtained under this Convention for the purpose of a tax in a category subject to the reservation.
4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3, information received by a Party may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of the supplying Party and the competent authority of that Party authorises such use. Information provided by a Party to another Party may be transmitted by the latter to a third Party, subject to prior authorisation by the competent authority of the first-mentioned Party.

**Article 23 – Proceedings**

1. Proceedings relating to measures taken under this Convention by the requested State shall be brought only before the appropriate body of that State.

2. Proceedings relating to measures taken under this Convention by the applicant State, in particular those which, in the field of recovery, concern the existence or the amount of the tax claim or the instrument permitting its enforcement, shall be brought only before the appropriate body of that State. If such proceedings are brought, the applicant State shall inform the requested State which shall suspend the procedure pending the decision of the body in question. However, the requested State shall, if asked by the applicant State, take measures of conservancy to safeguard recovery. The requested State can also be informed of such proceedings by any interested person. Upon receipt of such information the requested State shall consult on the matter, if necessary, with the applicant State.

3. As soon as a final decision in the proceedings has been given, the requested State or the applicant State, as the case may be, shall notify the other State of the decision and the implications which it has for the request for assistance.

## CHAPTER V – SPECIAL PROVISIONS

### *Article 24 – Implementation of the Convention*

1. The Parties shall communicate with each other for the implementation of this Convention through their respective competent authorities. The competent authorities may communicate directly for this purpose and may authorise subordinate authorities to act on their behalf. The competent authorities of two or more Parties may mutually agree on the mode of application of the Convention among themselves.

2. Where the requested State considers that the application of this Convention in a particular case would have serious and undesirable consequences, the competent authorities of the requested and of the applicant State shall consult each other and endeavour to resolve the situation by mutual agreement.

3. A co-ordinating body composed of representatives of the competent authorities of the Parties shall monitor the implementation and development of this Convention, under the aegis of the OECD. To that end, the co-ordinating body shall recommend any action likely to further the general aims of the Convention. In particular it shall act as a

forum for the study of new methods and procedures to increase international co-operation in tax matters and, where appropriate, it may recommend revisions or amendments to the Convention. States which have signed but not yet ratified, accepted or approved the Convention are entitled to be represented at the meetings of the co-ordinating body as observers.

4. A Party may ask the co-ordinating body to furnish opinions on the interpretation of the provisions of the Convention.

5. Where difficulties or doubts arise between two or more Parties regarding the implementation or interpretation of the Convention, the competent authorities of those Parties shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement. The agreement shall be communicated to the co-ordinating body.

6. The Secretary General of OECD shall inform the Parties, and the Signatory States which have not yet ratified, accepted or approved the Convention, of opinions furnished by the co-ordinating body according to the provisions of paragraph 4 above and of mutual agreements reached under paragraph 5 above.

#### **Article 25 – Language**

Requests for assistance and answers thereto shall be drawn up in one of the official languages of the OECD and of the Council of Europe or in any other language agreed bilaterally between the Contracting States concerned.

#### **Article 26 – Costs**

Unless otherwise agreed bilaterally by the Parties concerned:

- a. ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested State;
- b. extraordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the applicant State.

### **CHAPTER VI – FINAL PROVISIONS**

#### **Article 27 – Other international agreements or arrangements**

1. The possibilities of assistance provided by this Convention do not limit, nor are they limited by, those contained in existing or future

international agreements or other arrangements between the Parties concerned or other instruments which relate to co-operation in tax matters.

2. Notwithstanding paragraph 1, those Parties which are member States of the European Union can apply, in their mutual relations, the possibilities of assistance provided for by the Convention in so far as they allow a wider co-operation than the possibilities offered by the applicable European Union rules.

#### ***Article 28 – Signature and entry into force of the Convention***

1. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the member countries of OECD. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with one of the Depositaries.

2. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five States have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.

3. In respect of any member State of the Council of Europe or any member country of OECD which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

4. Any member State of the Council of Europe or any member country of OECD which becomes a Party to the Convention after the entry into force of the Protocol amending this Convention, opened for signature on 27th May 2010 (the "2010 Protocol"), shall be a Party to the Convention as amended by that Protocol, unless they express a different intention in a written communication to one of the Depositaries.

5. After the entry into force of the 2010 Protocol, any State which is not a member of the Council of Europe or of the OECD may request to

be invited to sign and ratify this Convention as amended by the 2010 Protocol. Any request to this effect shall be addressed to one of the Depositaries, who shall transmit it to the Parties. The Depositary shall also inform the Committee of Ministers of the Council of Europe and the OECD Council. The decision to invite States which so request to become Party to this Convention shall be taken by consensus by the Parties to the Convention through the co-ordinating body. In respect of any State ratifying the Convention as amended by the 2010 Protocol in accordance with this paragraph, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of ratification with one of the Depositaries.

6. The provisions of this Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have effect for administrative assistance related to taxable periods beginning on or after 1 January of the year following the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party, or where there is no taxable period, for administrative assistance related to charges to tax arising on or after 1 January of the year following the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party. Any two or more Parties may mutually agree that the Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have effect for administrative assistance related to earlier taxable periods or charges to tax.

7. Notwithstanding paragraph 6, for tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant Party, the provisions of this Convention, as amended by the 2010 Protocol, shall have effect from the date of entry into force in respect of a Party in relation to earlier taxable periods or charges to tax.

#### ***Article 29 – Territorial application of the Convention***

1. Each State may, at the time of signature, or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
2. Any State may, at any later date, by a declaration addressed to one of the Depositaries, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such

territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Depositary.

3. Any declaration made under either of the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to one of the Depositaries. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Depositary.

#### **Article 30 – Reservations**

1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval or at any later date, declare that it reserves the right:

- a. not to provide any form of assistance in relation to the taxes of other Parties in any of the categories listed in sub-paragraph b. of paragraph 1 of Article 2, provided that it has not included any domestic tax in that category under Annex A of the Convention;
- b. not to provide assistance in the recovery of any tax claim, or in the recovery of an administrative fine, for all taxes or only for taxes in one or more of the categories listed in paragraph 1 of Article 2;
- c. not to provide assistance in respect of any tax claim, which is in existence at the date of entry into force of the Convention in respect of that State or, where a reservation has previously been made under sub-paragraph a. or b. above, at the date of withdrawal of such a reservation in relation to taxes in the category in question;
- d. not to provide assistance in the service of documents for all taxes or only for taxes in one or more of the categories listed in paragraph 1 of Article 2;
- e. not to permit the service of documents through the post as provided for in paragraph 3 of Article 17;
- f. to apply paragraph 7 of Article 28 exclusively for administrative assistance related to taxable periods beginning on or after 1

January of the third year preceding the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party, or where there is no taxable period, for administrative assistance related to charges to tax arising on or after 1 January of the third year preceding the one in which the Convention, as amended by the 2010 Protocol, entered into force in respect of a Party.

2. No other reservation may be made.
3. After the entry into force of the Convention in respect of a Party, that Party may make one or more of the reservations listed in paragraph 1 which it did not make at the time of ratification, acceptance or approval. Such reservations shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the reservation by one of the Depositaries.
4. Any Party which has made a reservation under paragraphs 1 and 3 may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to one of the Depositaries. The withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Depositary in question.
5. A Party which has made a reservation in respect of a provision of this Convention may not require the application of that provision by any other Party; it may, however, if its reservation is partial, require the application of that provision insofar as it has itself accepted it.

#### ***Article 31 – Denunciation***

1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to one of the Depositaries.
2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Depositary.
3. Any Party which denounces the Convention shall remain bound by the provisions of Article 22 for as long as it retains in its possession any documents or information obtained under the Convention.

#### ***Article 32 – Depositaries and their functions***

1. The Depositary with whom an act, notification or communication has been accomplished, shall notify the member States of the Council

of Europe and the member countries of OECD and any Party to this Convention of:

- a. any signature;
  - b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
  - c. any date of entry into force of this Convention in accordance with the provisions of Articles 28 and 29;
  - d. any declaration made in pursuance of the provisions of paragraph 3 of Article 4 or paragraph 3 of Article 9 and the withdrawal of any such declaration;
  - e. any reservation made in pursuance of the provisions of Article 30 and the withdrawal of any reservation effected in pursuance of the provisions of paragraph 4 of Article 30;
  - f. any notification received in pursuance of the provisions of paragraph 3 or 4 of Article 2, paragraph 3 of Article 3, Article 29 or paragraph 1 of Article 31;
  - g. any other act, notification or communication relating to this Convention.
2. The Depository receiving a communication or making a notification in pursuance of the provisions of paragraph 1 shall inform immediately the other Depository thereof.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the Convention.

Established by the Depositaries the 1<sup>st</sup> day of June 2011 pursuant to Article X.4 of the Protocol Amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters in English and French, both equally authentic, in two copies of which one shall be deposited in the archives of each Depository. The Depositaries shall transmit a certified copy to each Party to the Convention as amended by the Protocol and each State entitled to become a party.

For the Republic of India

SANJAY KUMAR MISHRA, Jt. Secy.